भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 946
06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

946. श्री दीपक प्रकाशः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के शुभारंभ के पश्चात इसके घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो उत्पादन स्तर सहित तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत किसी धनराशि का संवितरण किया गया है, यदि हां, तो दिसंबर 2025 तक लाभार्थी इकाइयों को संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) निजी क्षेत्र की इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा उत्पादित इस्पात की प्रति टन लागत क्रमशः कितनी-कितनी है; और
(घ) क्या सरकार ने पीएलआई लाभार्थियों की उपयोग दक्षता और अनुपालन स्थिति की समीक्षा की है, यदि हां, तो ऐसी समीक्षा के निष्कर्षों और किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में “विशेष इस्पात” के विनिर्माण को बढ़ावा देने, पूंजी निवेश को आकर्षित करके रोजगार सृजन और इस्पात क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्रोत्साहित करने के लिए मंजूरी दी गई थी। है। दिसंबर, 2025 तक उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत घरेलू स्तर पर कुल 2487 (’000 टन) विशेष इस्पात का उत्पादन किया गया है। अब तक कंपनियों को 235.73 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। इस्पात मंत्रालय भाग लेने वाली कंपनियों के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है, जिसमें प्रतिबद्ध निवेश, उत्पादन, बिक्री और अन्य योजना-विशिष्ट मानदंड शामिल हैं। इन समीक्षाओं के आधार पर यह देखा गया है कि अधिकांश लाभार्थी अनुमोदित माइलस्टोन के अनुरूप प्रगति कर रहे हैं और कुछ मामलों में बाजार परिस्थितियों, आपूर्ति-श्रृंखला बाधाओं और परियोजना-विशिष्ट मुद्दों जैसे कारकों के कारण देरी हुई है।

******